

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना, राज्य व्यवस्थापित- PMKVY३.०- CSSM) “अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम” या योजनेंतर्गत नवीन लेखाशिर्षास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.....

महाराष्ट्र शासन  
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग,  
शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०२१/प्र.क्र.८२-भाग-२/कौशल्य-१  
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,  
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.  
दिनांक : २० जुलै, २०२२

**संदर्भ :-**

- १) केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाचे पत्र फाईल नं.एससीएच-११/२४२०२१-एसएनपी/दिनांक २४ मे, २०२१.
- २) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग/शासन निर्णय क्रमांक:कौविउ-२०२१/प्र.क्र.८२/कौशल्य-१/ दिनांक १२ जानेवारी, २०२२.

**प्रस्तावना :-**

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना ३.० (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत, राज्य व्यवस्थापित- PMKVY३.०- CSSM) या योजनेचा तिसरा टप्पा राज्यात राबविण्यास सं.क्र. १ येथील पत्रान्वये मान्यता दिलेली असून या योजनेंतर्गत रु. ६,०१,५०,०००/- इतका निधी राज्य शासनास वितरित केला आहे.

२. सदर योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत असून सदर निधी हा सर्वसाधारण प्रवर्ग/अनुसूचित जाती प्रवर्ग/अनुसूचित जाती घटक याकरिता सामायिक वितरित केला आहे. त्यास अनुसरून अनुसूचित जाती घटक प्रवर्गाकरिता नवीन लेखाशिर्ष उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय :-**

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना-३.० (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना, राज्य व्यवस्थापित- PMKVY३.०- CSSM) या योजनेंतर्गत, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम, केंद्र हिश्याकरिता खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उपलब्ध करून देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

मागणी क्रमांक एन-०३ २२३०, कामगार व सेवायोजन व कौशल्य विकास ०२, सेवायोजन सेवा ७८९, विशेष घटक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती क्षेत्र उपयोजना (०१) अनुसूचित जाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना (०१) (०४) रोजगार आणि स्वयंरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (१०० % केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) ३१, सहाय्यक अनुदाने (२२३० A८१७)	Demand No. N- 03 2230, Labour and Employment and Skill Development 02, Employment Service 789, Special Component Plan for cheduled Castes (01), Scheme under Schedule Caste Component Scheme (01) (04) Employment and Self Employment Programme Pradhan Mantri Kaoushlya Vikas Yojana (100 % Central Sponsored Scheme) (Scheme) 31, Grants-in-aid (2230 A817)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०७२११६४९२४६८०३ असा आहेहा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Digitally signed by Pranali Gosavi Yadav  
Date: 2022.07.21 16:53:39 +05'30'

(प्रणाली गोसावी-यादव)  
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय नवी मुंबई.
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई.
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर.
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे.
५. अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई,
६. कक्ष अधिकारी , प्रशा-३, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
७. निवड नस्ती (कौशल्य -१), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई.